न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र 256/2022 (2022/833)

1. मंजू जैन पत्नि भागचंद जैन पुत्री घीसालाल निवासी मेवदा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. इन्द्रा जैन पत्नि महावीर प्रसाद जैन पुत्री घीसालाल निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजेश्वरी जैन पत्नि सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्री घीसालाल निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. हेमलता जैन पत्नि मुकेश कुमार जैन पुत्री घीसालाल निवासी डाबी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. रेखा जैन पत्नि विमल कुमार जैन पत्नि घीसालाल जैन निवासी गुढा खुर्द तहसील विजयनगर जिला अजमेर
6. दीपक कुमार जैन पुत्र घीसालाल जैन निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. लाडा पत्नि विमल कुमार पुत्री भागचन्द जैन निवासी खोले के हनुमानजी के पास बास बदनपुरा जयपुर
8. मनोहर पत्नि प्रेम जैन पुत्री भागचन्द जैन निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
9. मंजू पत्नि सुभाष जैन पुत्री भागचन्द जैन निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
10. महावीर जैन पुत्र भागचन्द जैन निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
11. इन्द्रा पत्नि राजेन्द्र निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
12. मुकेश पुत्र राजेन्द्र निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
13. रेखा पुत्री राजेन्द्र जैन निवासी पारोली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र ताराचंद सिंघी जाति ओसवाल जैन निवासी दूदू रोड तहसील मालपुरा जिला टोंक
2. मंजू सिंघी पत्नि अनिल कुमार सिंघी जाति ओसवाल जैन निवासी दूदू रोड तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. सुप्रिया सिंघी पत्नि अखिल कुमार सिंघी जाति ओसवाल जैन निवासी दूदू रोड तहसील मालपुरा जिला टोंक
4. अमित कुमार जैन पुत्र धरमीचन्द जैन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. दीपक कुमार धूपिया पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. राजेन्द्र कुमार धूपिया पुत्र समरथ सिंह धूपिया निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. सुरेश कुमार पुत्र जोधाराम धाकड निवासी भीमगढ मेहरू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
8. सीमा पत्नि सुरेश कुमार धाकड निवासी भीमगढ मेहरू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
9. अखिल कुमार पुत्र अनिल कुमार ओसवाल जैन निवासी दूदू रोड तहसील मालपुरा जिला टोंक
10. मुकेश कुमार पुत्र हरकचंद छीपा निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
11. महावीर धाकड पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
12. घीसालाल जैन पुत्र सुगनचंद जैन निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
13. तहसीलदार, तहसील कार्यालय तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री निर्मल चौधरी– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कमलेश कुमार शर्मा– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12
3. श्री हेमराज कानावत – अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 11

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम/करवा देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	1167	1.38	बारानी 1
	685	3.25	बारानी 1
	713	0.22	गै.मु.पाल
	714	6.37	बारानी 1
किता –4		कुल रकबा 11.22 हैक्ट	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात सुगनचन्द के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी। सुगनचन्द के मरने के बाद सुगनचन्द के पुत्र अप्रार्थी संख्या 12 घीसालल के नाम दर्ज हुई जो कि प्रार्थीगण 1 से 6 के पिता है। उक्त आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 12 व प्रार्थीगण काश्त कर रहे थे। यह आराजीयात प्रार्थीगण की पेतृक संमत्ति है। प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

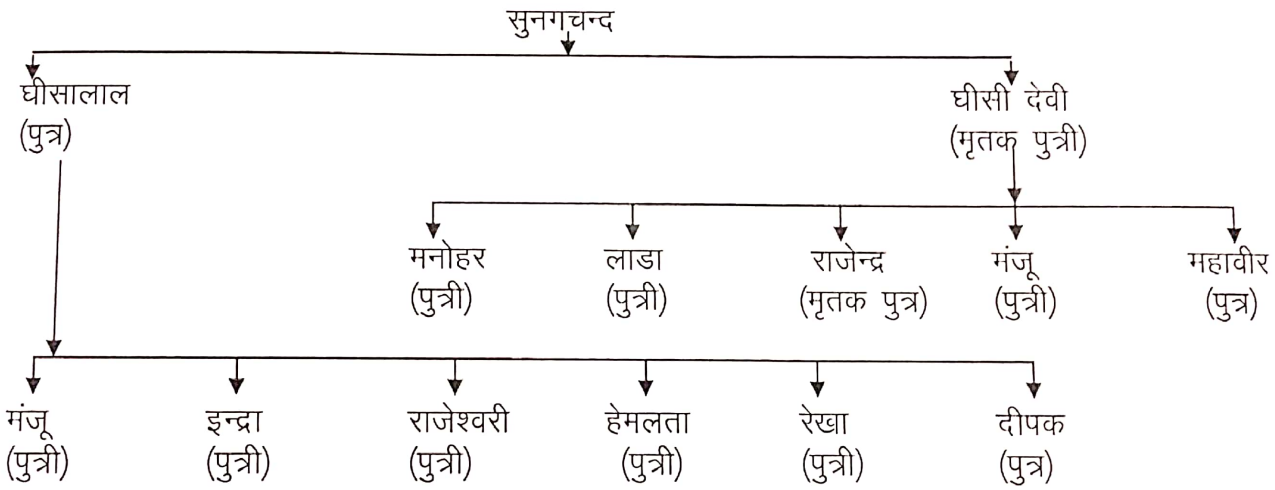

सुगनचन्द के दो संताने पैदा हुई एक पुत्र घीसालाल व एक पुत्री घीसी देवी, जो कि सुगनचन्द की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात के विधिक वारिसान थे एवं प्रत्येक का 1/2 हिस्सा था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण आराजीयात केवल अप्रार्थी संख्या 12 घीसालाल अकेले के नाम रेवेन्यू अधिकारियों से साज कर दर्ज करवा ली गई जबकि घीसालाल का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा था, शेष 1/2 हिस्से का हकदार घीसी देवी थी। प्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पिता घीसालाल के 5 पुत्रियां व 1 पुत्र पैदा हुए एवं अप्रार्थी संख्या 12 जो कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता एवं सुगनचन्द के पुत्र होने से सुगनचन्द द्वारा छोडी गई पैतृक संपत्ति में बराबर का 1/14 हिस्से के हकदार है। प्रार्थीगण 7 लगयात 10 की माता घीसी देवी की मृत्यु हो चुकी है, घीसी देवी के 3 पुत्रीया लाडा, मनोहर, मंजू जो प्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 9 व 2 पुत्र प्रार्थी संख्या 10 महावीर व राजेन्द्र हुये है। घीसी देवी सुगनचन्द की पुत्री होने से सुगनचन्द द्वारा छोडी गई पेतृक संपत्ति में 1/2 हिस्से की हकदार थी। घीसी देवी की मृत्यु होने के पश्चात घीसी देवी के वारिसान प्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 व राजेन्द्र उसकी पैतृक संपत्ति में बराबर के 1/10 हिस्से के हकदार है। राजेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 13 है जो राजेन्द्र की पैतृक संपत्ति में बराबर 1/30

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से के हकदार है। प्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पिता अप्रार्थी संख्या 12 दिनांक 11.06.2014 को खसरा नम्बर 713 व 714 का संपूर्ण हिस्सा व खसरा नम्बर 1167 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को, दिनांक 03.07.2015 को खसरा नम्बर 685 का अप्रार्थी संख्या 2 को तथा खसरा नम्बर 1167 में से अपना शेष बचा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय कर विक्रयपत्र सब रजिस्ट्रार केकड़ी के यहां तहरीर व तस्दीक करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 ने अपने हिस्से की संपूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 को विक्रय कर विक्रयपत्र सब रजिस्ट्रार केकड़ी के यहां तस्दीक व तहरीर करवा दिया उसके बाद दिनांक 10.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 ने अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 को विक्रय कर विक्रयपत्र सब रजिस्ट्रार केकड़ी के यहां तस्दीक व तहरीर करा दिया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 793 पृष्ठ संख्या 55 क्रम संख्या 202003349101813 पर पंजीबद्ध किया गया है एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 229 के पृष्ठ संख्या 254 से 261 पर चस्पा किया गया है। उक्त वर्णित आरजीयात जो कि पैतृक संपत्ति है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 व अप्रार्थी संख्या 12 का प्रत्येका का 1/14 हिस्सा है, प्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 12 को उक्त पैतृक आराजीयात को अकेले को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। उक्त विक्रयपत्र जो अप्रार्थी 12 द्वारा अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 के हक में किये गये है जो प्रार्थीगण पर बाइंडिंग नही है जो नल एण्ड वोइड है एवं उक्त नल एण्ड वोइड विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थीगण 4, 5 व 6 के हक में किया गया विक्रय पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 से 11 के हक में किया गया विक्रयपत्र नल एण्ड वोइड होने से प्रार्थीगण पर बाइंडिंग नही है।उक्त आराजीयात पैतृक संपत्ति होने के कारण प्रार्थीगण उपरोक्त हिस्सानुसार घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त नल एण्ड वोइड विक्रयपत्रों के आधार पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते है, प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है, इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि उक्त विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति पर कब्जा नही करे, काश्त करने से नही रोके, बेजामजाहमत नही करें। अप्रार्थीगण उक्त नल एण्ड वोइड विक्रयपत्रों के आधार पर आराजीयात को खुर्द-बुर्द हस्तांतरण करने पर उतारू है जिसकी धमकी बराबर दे दी है जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है, न्यायोचित है। अप्रार्थीगण की किसी भी गलत कार्यवाही से प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी तरह संभव नही हो सकेगी। अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है कि वे प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत नही करे, काश्त करने, उपयोग उपभोग से मना नही करें, जबरन बेदखल नही करे, बेचान नही करे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 12 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र निम्नानुसार है-

अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 के क्रम में प्रार्थीगण ने कतई गलत, झूठे, गिथ्या एवं निराधार तथ्यों के आधार पर झूठा वाद पेश किया है जो मय खर्चे खारिज होने योग्य है। पेरा संख्या 2, 3, 4, 5, 6 में अंकित तथ्य गलत/आधारहीन/रिकॉर्ड के विपरीत/मनगढंत होने से अस्वीकार होना जाहिर कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र में अंकित सजरा गलत है जिसे प्रार्थीगण स्वयं साबित करावें। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 12 धीसालाल की स्वअर्जित आराजी थी, मृतक सुगनचन्द की नही थी। आराजीयात प्रारम्भिक अवस्था फसली जगाबंदी संवत 1358 से ही अप्रार्थी संख्या 12 धीसालाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो रखी थी, इसलिए अप्रार्थीगण 7 लगायत 13 की माता मृतक धीसी देवी का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है जिससे अप्रार्थीगण 7 लगायत 13 को वाद प्रस्तुत करनेका कोई विधिक हक अधिकार एवं लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नही है। इसी आधार पर प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद वाद कारण के अभाव में निरस्त होने योग्य है। वादवर्णित आराजीयात मृतक सुगनचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे भी अंकित नही हुई थी बल्कि अप्रार्थी संख्या 12 घीसालाल की स्वअर्जित संपत्ति थी जिससे प्रार्थीगण का वर्णित आराजीयात मे कोई विधिक हक अधिकार हिस्सा एवं संबंध सरोकार नही है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत वास्तविक तथ्य छिपाकर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने एवं आराजीयात को हडपने के लिए सरासर झूठा दावा पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 7 में तथाकथित अंकित विक्रयपत्र विधिक रूप से सही निष्पादित एवं तहरीर कराये गये है जो राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार द्वारा सही पंजीबद्ध कराये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम निष्पादित विक्रयपत्रों क्रमशः दिनांक 11.06.2014, 03.07.2015 व 03.07.2015 के नाम रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा अपने पुत्र स्वयं प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार की सहमति एवं उपस्थिति में निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराये गये है जिनपर स्वयं प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार के बतौर साक्षी, स्वीकृति हस्ताक्षर हो रखे है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 6 ने अप्रार्थी संख्या 12 अपने पिता घीसालाल से दुरभि सन्धि कर झूठा दावा पेश किया है। उक्त सहमति एवं स्वीकृति से प्रार्थी संख्या 6 स्वयं एस्टोपल सिद्धान्त से बाध्य है एवं विधिक दृष्टि से स्वीकृति एवं सहमति से बढकर कोई सर्वोत्तम साक्ष्य नही होता है। प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार द्वारा वाद एवं प्रार्थनापत्र के साथ झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उसको विधिक विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही बाबत नियमानुसार प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में अंकित तथ्य गलत/आधारहीन/बेबुनियाद/मनगढंत होने से अस्वीकार होना जाहिर कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रारम्भिक अवस्था से बतौर खातेदार काश्तकार जमाबन्दी में अंकन होने से अप्रार्थी संख्या 12 को आराजी को बैचान करने का पूर्व विधिक हक अधिकार प्राप्त था जिससे उपरोक्त विक्रयपत्र कानूनी दृष्टि से सही निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराये गये है। उपरोक्त विक्रयपत्र अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपने पुत्र प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार की उपस्थिति एवं सहमति से पंजीबद्ध कराये गये थे, इसलिए उक्त विक्रयपत्र को किसी भी दृष्टि से नल एण्ड वोइड घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। वादवर्णित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी नही होकर अप्रार्थी संख्या 12 की स्वअर्जित आरजी थी। वादवर्णित आराजी पर मृतक सुगनचन्द का कही भी रिकॉर्ड में नाम अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 12 विक्रेता स्वयं जीवित है जिसने अपने पुत्र पुत्रियों से सांठ गांठ कर दुरभि सन्धि करके झूठा दावा पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। वादवर्णित आराजीयात पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि अप्रार्थीगण 7 लगायत 11 सद्भावी क्रेतागण का भौतिक रूप से कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई विधिक प्रश्न उत्पन्न नही होता है। वादवर्णित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति नही होने से प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वर्तमान में वादपर्णित आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 की काबिज काश्त चले आ रहे है जिनके विरूद्ध निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती एवं रिकॉर्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कतई न्यायोचित नही है। अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को बैचान के पश्चात अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा अप्रार्थीगण 4 लगायत 6 के नाम निष्पादित विक्रयपत्र एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के नाम निष्पादित विक्रयपत्रो में प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति एतराज नही किया और न ही उक्त विक्रयपत्रों को प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में आज तक चुनोती नही दी गई है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के अलावा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 12 ने खसरा नम्बर 356, 357 को किशनलाल, बजरंगलाल, शंकरलाल पिता हरनाथ बैरवा को बेचान की गई है जिसका नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 04.09.1998 स्वीकृत होकर अंकन जमाबन्दी संवत 2041 में रिकॉर्ड हो रखा है तथा उसके पश्चात आराजी खसरा नम्बर 630 को मकबूल अहमद पुत्र अब्दुल गफूर को बेचान किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 792 दिनांक 04.03.2006 स्वीकृत होकर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2058 में अंकन हो रखा है। उक्त दोनो बेचान में भी प्रार्थीगण ने आज तक कोई उज एतराज नही किया है। केवल अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 को हेरान परेशान करने के लिए बिना हक अधिकार के आपसी दुरभि सन्धि कर झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो कानूनन निरस्तनीय है। धीरी देवी की मृत्यु दिनांक 23.01.2013 को हुई है, उसने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नही की है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र में बंटवारा बाबत कोई अभिवचन अंकित नही किया है तथा सम्पूर्ण प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी संख्या 12 से कोई अभिवचन एवं आधार अंकित नही किया गया है जिससे अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा कराये गये विक्रयपत्र विधि मान्य एवं कानूनी दृष्टि से सही है। बंटवारा के अनुतोष क अभाव में केवल घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई प्राईमा फेसाई केस एवं टाईटल नही है बल्कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 वादवर्णित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के पक्ष में है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 को अपूरणीय क्षति कारित होगी एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के आराजीयात का उपयोग करने तथा टेनेन्सी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिसकी धन से पूर्ती नही की जा सकेगी। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 से 10 में वर्णित कथन स्वीकार किया गया है तथा पेरा संख्या 11 से 14 में वर्णित कथन को प्रार्थीगण स्वयं के द्वारा सिद्ध किया जाना जाहिर किया है साथ ही निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी पुश्तैनी है जो मेरे पिता सुगनचन्द पुत्र केसरलाल जाति जैन निवासी देवगांव की है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र को शामिल मिशल किया जाकर पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है जो सुगनचन्द के कब्जेकाश्त व खातेदारी में थी। सुगनचन्द की मृत्यु के उपरांत आराजीयात सुगनचन्द के वारिसान पुत्र घीसालाल व पुत्री घीसी देवी के नाम दर्ज नही होकर केवल पुत्र घीसालाल के नाम दर्ज हो गई। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी पैतृक होने से उसमें घीसालाल के साथ साथ उनके वारिसान पुत्र–पुत्रियां प्रार्थीगण 1 लगायत 6 एवं घीसी देवी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान पुत्र–पुत्रियां प्रार्थीगण 7 लगायत 10 व मृतक राजेन्द्र के वारिसान प्रार्थीगण 11 लगायत 13 का भी हक हिस्सा निहित है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 12 ने प्रार्थीगण के हितो को नजरअंदाज करते हुए उक्त पैतृक आराजीयातस्वयं के नाम दर्ज होने से अकेले ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को विक्रय कर दी जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही था।उक्त विक्रयपत्र जो अप्रार्थी 12 द्वारा अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 के हक में किये गये है जो प्रार्थीगण पर बाइंडिंग नही है जो कि नल एण्ड वोइड है एवं उक्त नल एण्ड वोइड विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थीगण 4, 5 व 6 के हक में किया गया विक्रय पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 से 11 के हक में किया गया विक्रयपत्र भी नल एण्ड वोइड होने से प्रार्थीगण पर बाइंडिंग नही है।उक्त नल एण्ड वोइड विक्रयपत्रों के आधार पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते है, प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है,अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है कि वे प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत नही करे, काश्त करने, उपयोग उपभोग से मना नही करें, जबरन बेदखल नही करे, बेचान नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन किया एवं तर्क दिया गया कि वादवर्णित आराजीयात प्रारम्भिक स्टेज फसली 1358 स्थाई के समय अर्थात करीब 70 वर्षोसे ही अप्रार्थी संख्या 12 घीसालाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। इस प्रकार आराजी मृतक सुगनचन्द की नही होकर अप्रार्थी संख्या 12 घीसालाल की स्वअर्जित संपत्ति थी जिसमें उसकी बहिन मृतका घीसी देवी का कोई विधिक अधिकार नही था और ना ही है एवं घीसालाल को स्वअर्जित आराजी को बेचान करने का पूर्ण विधिक हक अधिकार प्राप्त था। अप्रार्थी संख्या 12 घीसालाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के हक में अलग–अलग पंजीबद्ध कराये गये विक्रयपत्रों दिनांक क्रमशः 11.06.2014, 03.07.2015 एवं 03.07.2015 में प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार की पूर्ण सहमति एवं स्वीकृति थी जिस बाबत उक्त विक्रयपत्रों में प्रार्थी संख्या 6 दीपक कुमार के बतौर साक्षी हस्ताक्षर हो रखे है जो कि पिता–पुत्र ने सही विधिवत बेचान किया था। उक्त विक्रयपत्रों में प्रार्थी संख्या 6 एस्टोपेड है जिसे वाद एवं यह प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है जबकि वाद एवं प्रार्थनापत्र के साथ झूठा शपथ पत्र पेश करने पर प्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध प्रसंज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाकर दण्डित आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाना चाहिए। वादवर्णित आराजी के उक्त बेचान के पश्चात अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा अप्रार्थीगण 4 लगायत 6 के हक में एवं अप्रार्थीगण 4 लगायत 6 द्वारा अप्रार्थीगण 7 लगायत 11 के हक में किये गये विक्रयपत्रों में प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति एजराज नही किया और ना ही आज तक उक्त विक्रयपत्रों को सिविल न्यायालय में चुनोती दी गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 6 एवं अप्रार्थी संख्या 12 ने अन्य प्रार्थीगण के साथ मिलकर झूठा वाद एवं यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के अलावा अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा अन्य आराजी खसरा नम्बर 356, 357 को किशनलाल, बजरंगलाल, शंकरलाल को तथा खसरा नम्बर 630 को मकबूल अहमद को बेचान किया था जो नामान्तकरण संख्या क्रमशः 244 दिनांक 04.09.1998 व 792 दिनांक 04.03.2006 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन हो रखा है। उक्त दोनो बेचान में भी प्रार्थीगण ने आज तक कोई एतराज नही किया है। केवल अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 को हैरान परेशान करने के लिए बिना हक अधिकार के आपसी दुरभि सन्धि कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई प्राइमा फेसाई केस एवं टाईटल नही है बल्कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 वादवर्णित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के पक्ष में है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 77 लगायत 11 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी नहीं पाया गया। अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकारा पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
ककड़ी

उपखण्ड अधिकारी ककड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ककड़ी जि. अजमेर